



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042022-235259
CG-DL-E-21042022-235259

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 20, 2022/चैत्र 30, 1944

No. 210]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 20, 2022/CHAITRA 30, 1944

भारतीय मानक ब्यूरो
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

संदर्भ: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (345).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 16892 : 2018 सत्तू – विशिष्टि	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2022	5 अप्रैल 2022	4 जुलाई 2022

इन मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली 110002, क्षेत्रीय कार्यालयों: कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, देहरादून, फरीदाबाद, गाज़ियाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, जमशेदपुर, लखनऊ, नागपुर, परवानू, पटना, पुणे, रायपुर, राजकोट,

कोच्ची, विशाखापटनम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। भारतीय मानकों में संशोधनों को <http://www.standardsbis.in> पर आनलाईन खरीदा/ डाउनलोड कि जा सकता है।

जे. राय चौधरी, वैज्ञानिक जी एवं उपमहानिदेशक (मानकीकरण-I)

[विज्ञापन III/4/असा./31/2022-23]

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

Ref: HQ-PUB014/1/2020-PUB-BIS (345).—In pursuance of Sub-rule (1) of Rule (15) of the Bureau of Indian Standards Rules, 2018, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Amendments to Indian standards, particulars of which are given in schedule hereto annexed have been established.

SCHEDULE

Sl No.	No., Year & Title of the Indian Standard	No. and Month/Year of the Amendment	Date of Establishment of the Amendment	Date till which the standard without the amendment as mentioned in column 3 shall remain in force
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IS 16892 : 2018 Sattu — Specification	Amendment No. 1 Apr 2022	5 Apr 2022	4 July 2022

Copies of these amendments are available for sale with Bureau of Indian Standards, Manak Bhawan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002; Regional Offices: Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and Branch Offices: Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Dehradun, Faridabad, Ghaziabad, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Jammu, Jamshedpur, Lucknow, Nagpur, Parwanoo, Patna, Pune, Raipur, Rajkot, Kochi, Vishakhapatnam. Online purchase/downloading of amendments to Indian Standards can be made at <http://www.standardsbis.in>.

J. ROY CHOWDHURY, Scientist G & DDG (Standardization-I)

[ADVT.-III/4/Ext./31/2022-23]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

संदर्भ: HQ-PUB014/2/2020-PUB-BIS (346).—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 2018 के नियम 15 के उपनियम (1) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है इसमें संलग्न अनुसूची में दिये गये मानकों में संशोधन किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, वर्ष तथा शीर्षक	संशोधनों की संख्या एवं तिथि	संशोधनों की प्रतिस्थापन तिथि	तिथि जब तक मानक तीसरे स्तंभ में इंगित संशोधन के बिना भी लागू रहेगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आई एस 8110 : 2019 जल कूप छन्नक जाली एवं खाँचदार पाईप— विशिष्ट	संशोधन संख्या 1 अप्रैल 2022	8 अप्रैल 2022	7 अक्टूबर 2022